(ii)

I. D. No. 378 /PS/CCE/M
Dated 21.6.12

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.3(4)आर.पी.जी./एस.सी.सी/2011 दिनांक 12 JUN 2012

1. समस्त अति. मुख्य सचिव
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन संचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

JD(Adm)
2/6

परिपत्र

विषय :- विभिन्न स्त्रोतों यथा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्री कार्यालय एवं सीधे ही आम नागरिको से अभाव अभियोग संबंधित शिकायतों पर 15 दिवस के अन्दर अन्दर निस्तारण की कार्यवाही करने के संबंध में।

विभिन्न स्त्रोतों यथा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्री कार्यालय एवं सीधे ही आम नागरिको से अभाव अभियोग संबंधित शिकायतें / प्रतिवेदन जो जन अभियोग निराकरण विभाग में प्राप्त होते हैं तथा इन अभियोगों को जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाता है।

प्रायः यह देखने में आया है कि संबंधित विभागो द्वारा इन अभियोगों के निस्तारण की कार्यवाही सही प्रकार से एवं समय पर नहीं की जाती है। यह गंभीरता का विषय है अतः विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर जन अभियोगों के प्रकरणों को अपने स्तर पर दिखवाकर उनके निर्धारित अवधि में निस्तारण कि कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था करावें ताकि आमजन कि समस्याओं का समय पर समाधान हो सके । यदि जन अभियोग के प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं का निराकरण नियमों में अंकित प्रावधानुसार किया जाना संभव नहीं हो रहा हों तो प्रार्थी को एवं जन अभियोग निराकरण विभाग को सही वस्तुस्थिति से नियमों का उल्लेख करते हुये अवगत कराने की कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चत करावें ताकि पुनः उसी अभियोग के विभाग में प्राप्त होने की स्थिति उत्पन्न न होवे। इन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक विभाग में जन अभाव अभियोग का प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना भी आवश्यक है जिसकी मोनिटरिंग प्रत्येक सप्ताह विभागाध्यक्ष / जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक रूप से की जावे।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, एवं सचिवगण भी इसकी मोनिटरिंग सही प्रकार से करने की कार्यवाही करें एवं विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर से प्रगति की जानकारी पाक्षिक तौर पर प्राप्त करें ताकि जन अभाव अभियोगों के निराकरण की प्रगति में सुधार हो सके ।

2479
22/6

(सी. के. मैथ्यू)

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 26(परिपत्र)स्था/निकाशि/2012/113 दिनांक: 2/7/2012

प्रतिलिपिः

1. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
2. संयुक्त निदेशक प्रशासन /अकादमी / योजना एवं समन्वय/अनुदान /कार्मिक /छात्रवृति

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा राज0, जयपुर